न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.86 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 138)	18.09.2024	24.06.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी) — प्रार्थी

बनाम

नन्दा पुत्र नून्दा उर्फ लून्दा जाति भील
निवासी ग्राम पराना, तहसील तालेडा, जिला बून्दी। — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नन्दा भील को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 216 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम पराणा आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 86 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 138 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1802 दिनांक 26.05.25 के अनुसार इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पराना में नहीं है। मौके पर ग्रामवासियों द्वारा नन्दा आ. नून्दा भील की कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। इस प्रकार आवंटी या उसके वारिसान के वर्तमान निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से तामील के अभाव में प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर उक्त भूमि में खनन मलबा (रलाव) ड़ला हुआ है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि नन्दा आ. लून्दा जाति भील निवासी ग्राम पराणा को दिनांक 26.10.1977 को भूमि खसरा सं. 216 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम पराणा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पराना की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 505/216 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पर अप्रार्थी नन्दा पुत्र नून्दा जाति भील गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024 अनुसार मौके पर उक्त भूमि में खनन मलबा (रलाव) ड़ला हुआ है, मौके पर आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2023 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में आवंटी नन्दा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पराना में निवास नहीं करना, भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं होकर मौके पर खनन मलबा पडा हुआ होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदार उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पडत होना प्रकट है। इस प्रकार प्रकरण में गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, मौके पर भूमि में खनन मलबा (रलाव) ड़ला हुआ होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नन्दा आ. नून्दा उर्फ लून्दा जाति भील निवासी ग्राम पराना को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 216 रकबा 10 बीघा (हाल ख.सं. 505/216 रकबा 0.1619 हैक्टेयर) वाकेग्राम पराना दिनांक 26.10.1977 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

कार्यालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)